



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(3)परावि/प्रशा.1/वि.अ/संस्था/स्था/पद./एपीओ/2018/ 2389 जयपुर, दिनांक:- 26.7.18

:-आदेश:-

श्री नाहर सिंह मीणा, विकास अधिकारी पंचायत समिति टोडाभीम जिला करौली को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर इनका मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर किया जाता है।

श्री मीणा विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों की वरियता के क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति पंचायती राज विभाग मुख्यालय जयपुर पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।


(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
7. जिला कलेक्टर, करौली।
8. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति टोडाभीम जिला करौली।
10. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
12. आदेश पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)